

उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
अधिसूचना

जून 09, 2009 ई०

सं०-एफ 9(11)आरजी / यूईआरसी / 2009 / 308-विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त अन्य शक्तियों से सक्षम होकर तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, सं०-एफ 9(11)आरजी / यूईआरसी / 2007 / 814 के अधीन अधिसूचित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शिका) विनियम, 2007 के संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(1) ये विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शिका) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2009 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

3. मुख्य विनियम-3 का संशोधन :

मुख्य विनियम 3 के उपविनियम 3 हेतु निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

(3) "उपरोक्त 2 के अनुसार नियुक्त मंच के कोई दो सदस्य मंच की बैठक के लिये गणपूर्ति निर्मित करेंगे।"

आयोग के आदेश से,

पंकज प्रकाश,
सचिव।

NOTIFICATION

June 09, 2009

No.--F9(11)/RG/UERC/2009/308--In exercise of the powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Appointment of Member and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2007 notified vide No.-F 9(11)/RG/UERC/2007/814, dated January 17, 2007, namely :--

1. Short title and Commencement :

(1) These regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Appointment of Member and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (First Amendment) Regulations, 2009.

(2) These regulations shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Principal Regulation 3 :

For sub-regulation 3 of Principal Regulation 3, the following shall be substituted, namely :--

(3) "Any two Member of the Forum appointed as per (2) above shall form the Quorum for forum's meeting."

By the Order of the Commission,

PANKAJ PRAKASH,
Secretary.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 13-6-2009, भाग-1-क में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]

पी०ए०स०यू० (आर०ई०) 10 ऊर्जा / 307-23-6-2009-250 (कम्प्यूटर/रीजियो)